

By Regd. Post

From,

S. S. Gautam,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad!

Regd. Post

To,

The District Judge,
Hardoi.

206

No. 10803 /IV-2966/Admin.(A) dated 1.8.2014

Subject: Grant of Three advance increments to those officers who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University.


Sir,

With reference to your endorsement no. 1572/1-50-12 dated 07.06.2012, on the above subject, I have to say that according to the Govt. order and approval of Hon'ble the Chief Justice, three advance increments only be given to those judicial Officers of U.P. Nyayik Sewa /U.P.H.J.S., who has fulfilled the following conditions:-

1. who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University.
2. And for ensuring that who have been selected on or after 21.03.2002 having LL.M. degree who have mentioned this qualification in the application form of U.P. Nyayik Sewa /U.P. Higher Judicial Service, as the case may be.

From perusal of service record of Sri Vijay Kumar Azad, Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi, he has mentioned only LL.M. I in his application form of U.P. Nyayik Sewa and included his degree after coming into service, so he has not fulfilled the required condition, for grant of three advance increments.


Yours Faithfully,


30.7.14
Deputy Registrar

207

No. 10804 /IV-2966/Admin.(A) dated 1-8-2014


Copy forwarded for information to Sri Vijay Kumar Azad, Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi.


30.7.14
Deputy Registrar

~~S.O. (Admin. A-1) /D.R. (M)~~

May like to issue?

Online
28.07.2014
ARD.


28/07/14

18-6-12
 18-6-12
 Encl-1
 14-6-12
 562

18.6.12 9620
 12966
 162
 14-12-13
 22412
 12-7-12
 7-7-14
 25-7-14

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद
 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 कोर्ट संख्या-1, हरदोई।

सेवा में,

महानिबंधक,
 माननीय उच्च न्यायालय,
 इलाहाबाद।

द्वारा-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
 हरदोई।

महोदय,

दिनांक निवेदन है कि शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी0सी0 दिनांक 13 मई, 2009 के द्वारा शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2 / संस्तुति सम्बंधी पैरा 8.48 में पेज-590 पर की गयी संस्तुति के सदर्थ में विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक, उ0प्र0 राज्य की न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। मेरे द्वारा सेवा में आने से पूर्व ही विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से प्राप्त की जा चुकी है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त विषयक तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने के आदेश पारित करने की महति कृणु करें।

सादर प्रेषित।

1999
 S.O. Admin M/A

16
 D.R.M.
 16-6-12

16
 J.B.M.
 16/6/12

दिनांक : 07.6.2012

भवदीय,
 (विजय कुमार आजाद)
 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 कोर्ट संख्या-1 हरदोई।

संलग्नक- उपरोक्त शासनादेश।

S.O. (Admin. -H)

Implementation of G.O. dated 13.05.09 & 03.01.12 regarding grant of three advance increments to the Judicial officers on qualification of LL.M. is pending before Ld. R.G. May await the orders of Ld. R.G.?

1572/5-20-12 dated 7.6.12
 18/6/12
 16/7/12
 16-7-12
 13/7/12
 16/7/12

13.07.12
 A.R.O.



Report 91

संख्या- 1705/दो-4-2011-45 (12)/91 टी.सी.

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ- दिनांक 03 जनवरी, 2012

विषय- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ.प्र. राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ चयन के समय स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों/अधिकारियों को प्राप्त होगा। फिर भी आपके विभिन्न पत्रों में बांटे 05 बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सारिणी में दिये गये यथोचित उत्तरानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2.

3.

4.

5.